राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

दूरभाष : 2217840(कार्यालय)
फैक्स : 0612-2232212

पत्र संख्या- कार्य०का०सू०- 13/2015-3242 /दि०स० 21.09.15

प्रिय ....

पंचदश बिहार विधान सभा का सप्तदश सत्र दिनांक 03 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ हुआ और दिनांक 07 अगस्त, 2015 को सभा की बैठक के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया । सप्तदश सत्र में कुल पाँच (05) बैठकें संपन्न हुई ।

अध्यक्ष का प्रारम्भिक संबोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पंचदश बिहार विधान सभा के सप्तदश सत्र के आरम्भ के अवसर पर माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए उल्लेख किया गया कि वर्तमान सत्र दिनांक 07 अगस्त, 2015 तक निर्धारित है, जिसमें राजकीय विधेयक, गैर सरकारी संकल्प तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम प्रस्तावित है । लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली के शासन में विधायिका सर्वोच्च संस्था है । इसलिए यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो लोकतांत्रिक संस्था को यथोचित सम्मान और गौरव प्रदान किया जाना चाहिए । इसके लिए हम सबों को स्मरण रखना होगा कि नियम, कानून एवं परम्पराओं के तहत राज्य के आम नागरिकों की समस्याओं को सदन में रखना चाहिए और तब हम आम लोगों के प्रति सजग, सचेत और जवाबदेह हो सकेंगे । वर्तमान सत्र कई दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है । 15वीं बिहार विधान सभा का यह अंतिम एवं ऐतिहासिक सत्र है । इसके माध्यम से समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़े लोगों का उन्नयन और विकास की रोशनी उन तक पहुँचाना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है जिससे संसदीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया जा सके । उपर्युक्त अभिष्ट को प्राप्त करने के लिये हम इस सदन का उपयोग सकारात्मक, रचनात्मक एवं सहयोगात्मक रूप से करते हुये राज्य के ज्वलंत विषयों पर चर्चा कर सकते हैं । मुझे आशा और विश्वास है कि सदन के संचालन में आप सभी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा ।

अनुमत विधेयक

सप्तदश सत्र में बिहार विधान मंडल द्वारा पारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत निम्नांकित 10 (दस) विधेयकों के विवरण को सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया:-

(1) बिहार विनियोग विधेयक, 2015
(2) बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2015
(3) बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015
(4) बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015
(5) बिहार वित्त विधेयक, 2015
(6) बिहार विनियोग (अधिकाई व्यय 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 एवं 2008-2009) विधेयक, 2015
(7) बिहार कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015
(8) बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2015
(9) बिहार विनियोग (लेखानुदान सहित) निरसन विधेयक, 2015

(10) श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (अधिग्रहण और प्रबंधन) विधेयक, 2015

वित्तीय कार्य

दिनांक 03 अगस्त, 2015 को वित्त मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया ।

दिनांक 06 अगस्त, 2015 को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित कृषि विभाग के अनुदान की माँग वाद-विवाद के उपरान्त स्वीकृत हुआ एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त ''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015'' सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

1. भवन निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के तहत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा गया ।
2. गृह (विशेष) विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा- 3(4) के तहत् वर्ष 1989-90 भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन पार्ट-2 एवं जाँच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन (ATR) की एक-एक प्रति का सभा मेज पर रखा गया ।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 25(4) के तहत् बिहार राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा गया ।
4. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा गया ।
5. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम- 2006 की धारा-11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के चतुर्थ तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा गया ।
6. वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम- 2006 की धारा-11 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति का सभा मेज पर रखा गया ।
7. पथ निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) के तहत बिहार राज्य पूल निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक एक प्रति सभा मेज पर रखा गया ।
8. शिक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य शैक्षणिक अधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक एक प्रति सभा मेज पर रखा गया ।

विधायी कार्य

सदन द्वारा सत्र के दौरान निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन, विचारण एवं पारण किया गया:-

1. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2015
2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015
3. बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2015
4. बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2015

5. बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015
6. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015
7. बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015
8. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015

याचिका

इस सत्र में कुल 10 याचिकाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 06 स्वीकृत हुए तथा 04 अस्वीकृत हुआ ।

निवेदन

इस सत्र में कुल 38 निवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 35 निवेदन स्वीकृत हुए तथा 03 अस्वीकृत हुए । स्वीकृत निवेदनों को सभा की सहमति के पश्चात संबंधित विभागों को भेज दिया गया ।

प्रश्न

इस सत्र के दौरान कुल 464 प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 320 प्रश्नों की सूचनाएँ स्वीकृत किया गया । स्वीकृत प्रश्नों की सूचनाओं में 04 अल्पसूचित, 238 तारांकित एवं 78 अतारांकित थे । सभी स्वीकृत 320 प्रश्न अनागत हुए ।

ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय सदस्यों द्वारा कुल 62 ध्यानाकर्षण सूचनायें दी गयी जिसमें से 08 ध्यानाकर्षण सूचनायें सदन में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी तथा 53 ध्यानाकर्षण सूचनायें लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया एवं 01 ध्यानाकर्षण सूचना अमान्य हुआ ।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा लोकहित के विभिन्न विषयों को उठाया गया ।

सरकार की ओर से वक्तव्य

दिनांक- 06 अगस्त, 2015 को पटना में हुई हत्या पर सरकार द्वारा वक्तव्य दिया गया ।

गैर सरकारी संकल्प

इस सत्र में कुल 54 गैर सरकारी संकल्प की सूचनाएँ प्राप्त हुए जिनमें से 47 सूचनाएँ स्वीकृत तथा 07 अस्वीकृत हुए परन्तु स्वीकृत गैर सरकारी संकल्प की सूचनाओं पर सदन में विचार-विमर्श नहीं हो सका ।

शोक प्रकाश

इस सत्र में निम्नलिखित माननीय सदस्यों, कतिपय जननायकों के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखा गया तथा सदन की ओर से शोक संतृप्त परिवार के पास संदेश भेजा गया :-

(1) स्वर्गीय डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति

(2) स्वर्गीय आर०एस० गवई, पूर्व राज्यपाल, बिहार एवं केरल

(3) स्वर्गीय बलदेव हाजरा, पूर्व स०वि०स०

(4) स्वर्गीय सुशील कुमार सिंह, पूर्व स०वि०स०

(5) स्वर्गीय राम परीक्षण साहु, पूर्व स०वि०स०

(6) स्वर्गीय बालेश्वर राम, पूर्व सांसद एवं सभा सदस्य

(7) स्वर्गीय मांगन इंसान, पूर्व स०वि०स०

(8) स्वर्गीय माधव सिन्हा, पूर्व स०वि०प०

(9) स्वर्गीय प्रो० अरूण कुमार सिन्हा, पूर्व स०वि०स०

(10) स्वर्गीय जय कुमार पालित, पूर्व स०वि०स०

(11) स्वर्गीय राम नरेश प्रसाद, पूर्व स०वि०स०

(12) स्वर्गीय आनन्द मोहन सिंह, पूर्व स०वि०स०

(13) स्वर्गीय बैद्यनाथ यादव, पूर्व स०वि०स०

दिनांक 07 अगस्त, 2015 को निर्धारित कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जिसके उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा बिहार विधान सभा का सत्रावसान किया गया ।

सधन्यवाद

आपका विश्वासी

11.9.15

(राजीव कुमार)

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

....

....

....